पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-25 सोमवार, दिनांक-20 अप्रील, 2015 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री उदय नारायण चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.27 बजे अपराह्न तक ।

[1] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 12 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iii) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।

(iv) 08 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[2] शून्यकाल :-

शून्यकाल के सूचना अन्तर्गत राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर निम्नांकित मा० सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

(i) श्री ललन राम
(ii) श्री प्रदीप कुमार
(iii) श्री चन्द्रशेखर
(iv) श्री प्रेम कुमार
(v) डा० इजहार अहमद

''इस दौरान माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार के शून्यकाल की सूचना पर सरकार से वक्तव्य की मांग को लेकर भाजपा के माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे ।

माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा इस विषय पर सरकार की ओर से विस्तृत वक्तव्य देने की बात कही गयी ।''

''इसके उपरांत माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र द्वारा कथित हत्या पर दोषियों पर स्पीडी ट्रायल की मांग को लेकर शोरगुल करते हुए राजद के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए ।

आसन द्वारा माननीय सदस्यों से शांत रहने एवं अपनी-अपनी सीट पर जाने का अनुरोध किया गया तब सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीट पर वापस चले गए ।''

[3] **सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, उद्योग विभाग, श्री श्याम रजक द्वारा दिनांक-31 मार्च, 2012, दिनांक-31 मार्च, 2013 एवं दिनांक-31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्षों के लिए बिहार राज्य वित्तीय निगम के वार्षिक लेखा पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम के वर्ष-2009-2010 एवं 2010-2011 का 55वाँ एवं 56वाँ वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया ।

[4] **ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-**

(i) श्री मंजीत कुमार सिंह एवं अन्य सभासदों का जल संसाधन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना पर उत्तर के लिए सरकार द्वारा समय लिया गया ।

(ii) श्री तारकिशोर प्रसाद, स०वि०स० का नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया ।

(iii) श्री गिरिधारी यादव एवं अन्य सभासदों का कृषि विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री गिरिधारी यादव द्वारा पढ़ा गया तथा इसके उत्तर के लिए सरकार द्वारा समय लिया गया ।

(iv) डा० अच्युतानन्द, स०वि०स० का उर्जा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(v) श्रीमती रेणु कुमारी एवं श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० का गृह (आरक्षी) विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को मा० सदस्या श्रीमती रेणु कुमारी द्वारा पढ़ा गया तथा इसके उत्तर के लिए सरकार द्वारा समय लिया गया ।

(vi) श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह एवं अन्य सभासदों का ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार द्वारा उत्तर के लिए समय लिया गया ।

(vii) श्री मो० आफाक आलम एवं अन्य सभासदों का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री मो० आफाक आलम द्वारा पढ़ा गया तथा इसके उत्तर के लिए सरकार द्वारा समय लिया गया ।

(viii) श्रीमती मीना द्विवेदी, स०वि०स० का उर्जा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को मा० सदस्या द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

तदोपरांत सभा की कार्यवाही 2.00 बजे अप० तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

समय 2.00 बजे अप० से 4.30 बजे अप० तक ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[5] **वित्तीय कार्य :-**

वित्तीय वर्ष 2004-05, 2005-06, 2007-08 एवं 2008-09 के अधिकाई व्यय-विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद विवाद तथा मतदान :-

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा अधिकाई व्यय-विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांग का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

तदुपरांत सभी अनुदान की माँगें बारी-बारी से सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[6] **विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-**

(i) **"बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 2004-05, 2005-06, 2007-08 एवं 2008-09) विधेयक 2015":-**

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधयेक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक के विचार के प्रस्ताव में स्वीकृति के उपरांत खंडशः विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खंड विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री वित्त विभाग द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(ii) ''**बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2015**'' :-

माननीय प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधयेक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री डा० अच्युतानन्द द्वारा सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

माननीय सदस्य डा० अच्युतानन्द द्वारा जनमत जानने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री विनोद नारायण झा द्वारा प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खंडश: विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया । विधेयक सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

[7] <u>सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श</u> :-

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-43 के अंतर्गत श्री संजय सिंह 'टाइगर' एवं अन्य सभासदों से प्राप्त सामान्य लोकहित के विषय ''राज्य में धान क्रय में हो रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति'' पर विमर्श ।

माननीय सदस्य श्री संजय सिंह 'टाइगर' द्वारा विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा कहा गया कि मेरे बदले माननीय सदस्य श्री रामाधार सिंह बोलेंगे । तत्पश्चात् श्री रामाधार सिंह द्वारा इस विषय पर पक्ष रखा गया ।

विमर्श में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री प्रदीप कुमार

(इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य श्री हरि नारायण सिंह ने आसन ग्रहण किया)

(ii) श्री दुर्गा प्रसाद सिंह (iii) श्री अरूण शंकर प्रसाद

(iv) श्री चन्द्रशेखर

(आसन से घोषणा की गई कि सदन की सहमति से सदन की समाप्ति तक अवधि का विस्तार किया जाता है)

(v) डा० अरूण कुमार

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री श्री श्याम रजक द्वारा विमर्श का उत्तर दिया गया ।

[8] <u>निवेदन</u> :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल-30 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक 21 अप्रील, 2015 के 11.00 बजे पूर्वाहन तक के लिये स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-20 अप्रील, 2015

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।